पत्रांक–श्रम क०सं०–24 / 2025(अंश)-1032

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) **01** कामगार का दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 2,00,000 / – (दो लाख रूपए मात्र) अर्थात् **कुल राशि रू० 2,00,000 / – (दो लाख रूपए मात्र)** का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०–1348, दिनांक–06.10.2025 के क्रम संख्या–**13** में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु उपरोक्त विमुक्ति आदेश के क्रम संख्या–**13** पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का **IFSC गलत** रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०–1348, दिनांक–06.10.2026 के क्रम संख्या–**13** को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक–185, दिनांक–21.02.2026 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक / दावेदार कामगार / शिल्पकार के आश्रितको स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्र.सं	मृतक / दावेदार का नाम, उम्र, पिता / पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक / दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु / निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व0 लड्डु मेहता, 60, बैधनाथ मेहता, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	शोभा देवी (पत्नी)	185 21.02.2026 एवं 741 10.09.2025	ग्राम। पो0 पुरैनी वार्ड 10, पो0। थाना। प्र0 पुरैनी जिला मधेपुरा 8092779030	**100736 103001 2837**	**BGB PUNB0 MBGB0 6**	रू0 2,00,000 / (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु (मोटर साईकिल से धक्का लगने के कारण), मनरेगा मजदुर

कुल:–रू० 2,00,000 / –
(दो लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं0 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०–1348, दिनांक–06.10.2025 के क्रम संख्या–**13** को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदश निर्गत किया जाता है।

ह० / –
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह० / –
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :–श्रम क०सं०–24 / 2025(अंश)-1032 **पटना, दिनांक :– 17 / 03 / 2026**

प्रतिलिपि :– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे / लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं पवासी

श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **कुल राशि रू० 2,00,000/– (दो लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/उप श्रमायुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

13/08/2026

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक